ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा
प्रकरण संख्या : 24/2014 ई.दी.
मैसर्स सुल्तान एक्सपलोजिव बनाम अजीज खां
(3/3)

आदेश दिनांक : 11.09.2025

संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं रहेगी और वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त फर्म में अधिकार व हित नहीं रहेगा। वादी संख्या 1 ने अलग से व्यवसाय करने हेतु अपने नाम सलीम खां पिता अजीज खां के नाम से बड़ारडा में गन पाउडर एवं फायर वर्क्स का व्यवसाय करने हेतु गुप्त रूप से लाईसेंस दिनांक 08.11.1981 में ही प्राप्त कर रखा था।

पक्षकारान के अभिवचनों एवं पक्षकार के मध्य उत्पन्न हुए विवाद के न्यायोचित निरस्तारण के लिये एम.एस. खान के नाम से जो लाईसेंस जारी हुआ जिसे वादी ने जिरह में स्वयं के आधिपत्य में होना स्वीकार किया है, को न्यायालय में तलब करवाया जाना न्यायोचित है। यदि वादी से उक्त लाईसेंस को तलब करवाया जाता है तो निश्चित रूप से पक्षकारान के मध्य उत्पन्न हुए विवाद के न्याय निर्णयन में मदद मिलेगी। अतः प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत किया गया उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी पेशी पर उक्त लाईसेंस असल न्यायालय में लेकर उपस्थित हों। यदि उक्त लाईसेंस वादी के पॉवर एण्ड पजेसन में नहीं है तो इस आशय का शपथ पत्र पेश करें।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 18.09.2025 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

18.9.25 वकलाय फरीकैन उपस्थित। वादी मो. सलीम खां ने गत आदेश की पालना में लाईसेंस वादी के power and possession में नहीं होने बाबत शपथ पत्र पेश किया। नकल अधिवक्ता प्रतिवादी को दिलाई गई। साक्ष्य वादी हेतु अवसर चाहा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 26.9.25 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)